महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक विकास में महिला स्वयं-सहायता समूह का योगदान, झारखण्ड राज्य, धनबाद जिले के विशेष सन्दर्भ में,

बिनोद बिहारी महतों कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद, झारखण्ड, से वाणिज्य विषय में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी उपाधि की आंशिक पूर्ति हेतु प्रस्तुत लघु शोध की संक्षेपिका।

वर्ष-2020

शोध पर्यवेक्षक

Dr.U.K.Trigunait

Assistant Professor

Katras college Katrashgarh

Dhanbad, Jharkhand.

शोधार्थी

Kuldip Mahto

Roll No.09

Commerce Department

शोध केन्द्र

वाणिज्य विभाग

बिनोद बिहारी महतों कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद, झारखण्ड,

अनुक्रमणिका

क्रमांक	विवरण	पेज नंबर
1.0	अध्ययन का परिचय	3-5
2.0	स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की अवधारणा	6
3.0	स्वयं-सहायता समूह(Self Help Groups) की परिभाषाऐं	7
4.0	अध्ययन का औचित्य	8-9
5.0	साहित्य की समीक्षा	9-11
6.0	अध्ययन का उद्‌देश्य	12
7.0	अध्ययन की परिकल्पना	12
8.0	अनुसंधान क्रिया विधि	13
9.0.	अध्ययन की सीमाएँ	14
10.0	प्रस्तावित थीसिस में निम्नलिखित अध्याय	14
11.0	प्रतिक्रिया दें संदर्भ	15

1.0 अध्ययन का परिचय

21वीं शताब्दी में संयुक्त राष्ट संगठन(UNO) में लिंग भेद स्त्री-पुरुष के मध्य आर्थिक-सामाजिक राजनीतिक असामानता स्त्री शिक्षा महिलाओं में व्याप्त शोषण गरीबी आर्थिक पिछडेपन की तमाम विसंगतियों को दूर करने के लिये नये-नये कार्यक्रम अपनाने का आदेश पारित कर रही हैं।

भारत में भी इसी आशय के अंतगर्त प्रचलित सशक्तीकरण ग्रामीण परिवेश में स्वयं-सहायता समूह(Self Help Groups)के नाम से समस्त विगत 15-20 वर्षो में विभिन्न नीतियों को लागू किया जा रहा हैं। स्वयं-सहायता समूह गरीब व्यक्तियों के छोटे-छोटे समूह होते हैं। समूह के सदस्य अपनी समस्यायें सुलझाने में यह सभी एक दूसरे की मदद करते है। समूह में महिला सदस्य अपनी ईछा से छोटी-छोटी बचत करने के लिए तैयार होते हैं। सामूहिक निधि में से सदस्यों को ऋण प्रदान किये जाते हैं। इस प्रकार छः महिने तक लगातार बचत करके अपने सदस्यों को ऋण पहुचाने और गुणवत्ता जाँच सूचि के अनुसार बैंक को संतुष्ट करने के बाद बैंक से लोन प्रदान किया जाता हैं।

वर्तमान अध्ययन झारखंड के सबसे विकसित जिलों में से एक, झारखंड के धनबाद जिले में सामाजिक आर्थिक विकास के लिए माइक्रोफाइनेंस उपकरण के रूप में स्वयं सहायता समूहों की प्रभावशीलता की जांच करता है। एक स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) एक स्थानीय वित्तीय मध्यस्थ है जिसमें अक्सर समुदाय की 4 से 15 महिलाएं या पुरुष शामिल होते हैं। जबकि एसएचजी अन्य देशों में मौजूद हैं, खासकर दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में, लेकिन भारत में एसएचजी की संख्या सबसे अधिक है। सदस्य कुछ महीनों तक छोटे नियमित बचत योगदान करते हैं जब तक कि समूह में ऋण देना शुरू करने के लिए पर्याप्त पूंजी न हो जाए। फिर किसी भी उद्देश्य के लिए धनराशि सदस्यों या गाँव के अन्य लोगों को वापस उधार दी जा सकती है। भारत में, कई एसएचजी सूक्ष्म ऋण की डिलीवरी के लिए बैंकों से 'जुड़े' हैं।

एक स्वयं सहायता समूह पंजीकृत या अपंजीकृत हो सकता है। इसमें अक्सर समान सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि वाले सूक्ष्म उद्यमियों का एक समूह शामिल होता है जो नियमित आधार पर मामूली मात्रा में धन बचाने के लिए स्वेच्छा से एक साथ आते हैं, एक सामान्य निधि में योगदान करने के लिए सहमत होते हैं, और अपनी आपातकालीन जरूरतों को पूरा करने के लिए एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। वे अपने संसाधनों को एकत्रित करते हैं, संगठन द्वारा जुटाए गए

धन से ऋण लेते हैं, और वित्तीय स्थिरता प्राप्त करने के लिए समूह में सभी को स्वतंत्र ठेकेदारों के रूप में नियुक्त करते हैं। उचित ऋण उपयोग और शीघ्र पुनर्भुगतान सुनिश्चित करने के लिए, समूह के सदस्य अपने संयुक्त ज्ञान और साथियों के दबाव पर भरोसा करते हैं। यह तकनीक, जो संपार्श्विक की आवश्यकता को दूर करती है और अक्सर माइक्रोफाइनेंस संगठनों द्वारा नियोजित होती है, एकजुटता ऋण देने से निकटता से संबंधित है। सदस्यों के प्रबंधन के लिए बहीखाता को सरल बनाए रखने के लिए अधिकांश ऋण गणनाओं के लिए फ्लैट ब्याज दरों का उपयोग किया जाता है।

सरकारी या गैर-लाभकारी संगठन जिनके पास आमतौर पर व्यापक गरीबी-विरोधी एजेंडा होते हैं, वे स्वयं सहायता संगठन लॉन्च करते हैं। स्वयं सहायता समूहों को कई उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उपकरण के रूप में देखा जाता है, जैसे महिलाओं को सशक्त बनाना, वंचितों के बीच नेतृत्व कौशल विकसित करना, स्कूल में उपस्थिति बढ़ाना और पोषण और गर्भनिरोधक उपयोग को बढ़ाना। वित्तीय मध्यस्थता को आम तौर पर एक प्रमुख लक्ष्य के रूप में कम और इन अन्य उद्देश्यों के लिए एक कदम के रूप में अधिक देखा जाता है। यह ग्रामीण पूंजी के स्रोतों के रूप में उनके विकास के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर प्रबंधित पूंजी पूलों को संघबद्ध करने के उनके प्रयासों को बाधित कर सकता है, जैसा कि क्रेडिट यूनियनों ने अतीत में किया है। कई स्वयं सहायता समूह, विशेष रूप से भारत में, नाबार्ड के एसएचजी बैंक लिंकेज कार्यक्रम के तहत हैं, एक बार जब वे अपनी पूंजी का आधार जमा कर लेते हैं और नियमित पुनर्भुगतान का ट्रैक रिकॉर्ड स्थापित कर लेते हैं, तो बैंकों से उधार लेते हैं। इस मॉडल ने गरीब आबादी तक सूक्ष्म-वित्त सेवाएं पहुंचाने के एक संभावित तरीके के रूप में ध्यान आकर्षित किया है, जिन तक बैंकों या अन्य संस्थानों के माध्यम से सीधे पहुंचना मुश्किल है। "अपनी व्यक्तिगत बचत को एक ही जमा में एकत्रित करके, स्वयं सहायता समूह बैंक की लेनदेन लागत को कम करते हैं और जमा की एक आकर्षक मात्रा उत्पन्न करते हैं।स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से बैंक छोटे ग्रामीण जमा कर्ताओं को बाजार दर पर ब्याज का भुगतान करते हुए उनकी सेवा कर सकता है।" नाबार्ड का अनुमान है

कि भारत में 2.2 मिलियन एसएचजी हैं, जो 33 मिलियन सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्होंने आज तक इसके लिंकेज कार्यक्रम के तहत बैंकों से ऋण लिया है।

2.0 स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की अवधारणा

एसएचजी महिलाओं के कल्याण और उत्थान के लिए भारत में बनाई गई एक बिल्कुल नई, अत्याधुनिक संगठनात्मक संरचना है। भारत में प्रत्येक महिला को संभावित व्यवसाय स्वामी या कुशल श्रमिक बनने के लिए प्रशिक्षण और विकास के लिए किसी भी स्वयं सहायता समूह में शामिल होने का अवसर मिलता है।

सरकार उन भारतीय महिलाओं को एसएचजी को प्रोत्साहित करती है जिनके पास अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हैं। बैंक को विनिर्माण और व्यापारिक गतिविधियों को चलाने के लिए वित्तीय सहायता की व्यवस्था करनी चाहिए, विपणन सुविधाओं की व्यवस्था करनी चाहिए, जबकि सरकारें एसएचजी के उत्पाद की खरीद करेंगी, नेतृत्व गुणवत्ता के मामले में महिलाओं की क्षमता बढ़ाने की व्यवस्था करेंगी, और स्वयं एसएचजी के प्रबंधन की व्यवस्था करेंगी। ताकि प्रशासनिक क्षमता हो. ऐसा तब किया जाता है जब एसएचजी भारत में महिलाओं के लिए उपयुक्त कुछ प्रकार के कार्यों को करने के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था करते हैं। चूंकि एसएचजी छोटे और आर्थिक रूप से छोटे हैं, ग्रामीण गरीबों के समरूप आत्मीय समूह, वे स्वेच्छा से एक साथ आ रहे हैं निम्नलिखित को प्राप्त करने के लिए :-

1. नियमित रूप से थोड़े-थोड़े पैसे बचाना।
2. संयुक्त निधि में योगदान करने पर सहमति।
3. उनकी तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करना।
4. समूह निर्णय-प्रक्रिया का उपयोग करना।
5. समूह नेतृत्व और खुली बातचीत के माध्यम से विवादों को हल करना।
6. समूह द्वारा निर्धारित शर्तों और बाजार द्वारा निर्धारित दरों के साथ असुरक्षित ऋण की पेशकश करना।

3.0 स्वयं-सहायता समूह(Self Help Groups) की परिभाषाऐं

1) स्वयं सहायता समूह को ऐसे लोगों के समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनके पास है किसी समान मुद्दे या जीवन स्थिति का व्यक्तिगत अनुभव, या तो प्रत्यक्ष रूप से या उनके परिवार और दोस्तों के माध्यम से. अनुभव साझा करने से वे देने में सक्षम होते हैं एक-दूसरे को आपसी समर्थन और व्यावहारिकता का अनूठा गुण है जानकारी और मुकाबला करने के तरीके।

2) स्वयं सहायता समूह गरीबों के बनाए गए छोटे अनौपचारिक संगठन हैं सदस्यों को आर्थिक लाभ उठाने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से जमीनी स्तर पर एकजुटता से आपसी मदद और संयुक्त जिम्मेदारी से लाभ। स्वयं सहायता समूह ग्रामीण और शहरी गरीबों द्वारा बचत करने और इसमें योगदान देने के लिए स्वेच्छा से गठित किया जाता है।समूह के निर्णय के अनुसार और कार्य करने के लिए अपने सदस्यों को सामान्य निधि उधार दी जाएगी अपने परिवारों और समुदाय के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए।

3) एक स्वयं सहायता समूह को "स्वयं शासित, सहकर्मी नियंत्रित" के रूप में परिभाषित किया गया है। समान सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि वाले लोगों का सूचना समूह और सामूहिक रूप से सामान्य उद्देश्य पूरा करने की इच्छा रखना, स्वयं सहायता समूह साप्ताहिक या मासिक आधार पर छोटी बचत जुटाने में सक्षम हुए हैं ऐसे व्यक्तियों से जिनसे कोई बचत की उम्मीद नहीं थी। उन्होंनें किया है सदस्यों के बीच उत्पन्न संसाधनों को प्रभावी ढंग से पुनर्चक्रित करने में सक्षम समूह के सदस्यों की उत्पादक और आकस्मिक ऋण आवश्यकताओं को पूरा करना।

4.0 अध्ययन का औचित्य

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के किसी भी योजना में गरीबी उन्मूलन प्राथमिक उद्देश्यों से एक है। परिणाम स्वरूप, ग्रामीण गरीबों के लिए न्यूनतम स्तर की आय प्रदान करने के लिए स्थिति-विशिष्ट गरीबी उन्मूलन नीतियों और पहलों को डिजाइन करना महत्वपूर्ण है, जो विकासशील देशों में समग्र आबादी का एक बड़ा हिस्सा बनाते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्रेडिट इंजेक्शन एक पहल है। राष्ट्रीयकरण के बाद, ग्रामीण ऋणों में बढ़ी हुई बैंक भागीदारी को ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक विकास के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में देखा गया। लेकिन वाणिज्यिक, सहकारी और ग्रामीण बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के व्यापक नेटवर्क के बावजूद, गंभीर गरीबी में उल्लेखनीय सुधार के लिए बहुत कम किया जा सका।

ग्रामीण भारत में जो स्थिति है. सरकारी और अन्य संस्थागत खिलाड़ी ऐसा माहौल बनाने के लिए आगे आए जो गरीबों के लिए अपने संगठन बनाने के लिए अनुकूल हो क्योंकि उन्होंने माना कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए किसी भी ऋण पहल की सफलता इसकी उच्च पहुंच और लोगों के अनुकूल दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। इस संदर्भ में स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) की भूमिका, विशेषकर महिलाओं की, एक मान ली गई है गंभीर चुनौती. स्वयं सहायता समूह का दृष्टिकोण सामाजिक लामबंदी का प्रमुख तत्व है। एसएचजी आंदोलन और दृष्टिकोण, जो माइक्रोफाइनेंस से जुड़े हैं, अब गरीबी उन्मूलन के लिए एक सफल हस्तक्षेप उपकरण के रूप में पहचाने जाते हैं।

भारत में, लगभग 200 मिलियन व्यक्ति ऐसे हैं जो या तो आधिकारिक गरीबी रेखा से नीचे हैं या बमुश्किल ऊपर हैं।

भारत सरकार के साथ-साथ कई राज्य सरकारों द्वारा महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कई परियोजनाएँ और गतिविधियाँ शुरू की गई हैं। पिछड़े क्षेत्रों में व्यवहार्य आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए ऋण सहायता प्रदान करने और बचत को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं से युक्त एसएचजी के गठन और स्थिरीकरण संदर्भ में माइक्रोफाइनेंस परियोजना के हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों के लोग अधिक सशक्त हुए हैं। हालाँकि, इस प्रष्ठभूमि पर,एसएचजी के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण पर और इसके प्रभाव के संबंध में संसाधन साहित्य की कमी है। वर्तमान अध्ययन धनबाद जिले में समूह के सदस्यों की एसएचजी के प्रभाव सामाजिक-आर्थिक स्थितियों का आकलन करने के लिए किया गया है ।

5.0 साहित्य की समीक्षा

शोध अध्ययन मे यह अध्ययन अत्यंत आवश्यक हैं इसमे उन समस्याओ के परिणाम का अध्ययन किया जाता है। यह अध्ययन शोध की पुनरावति से बचाता है। यह आभास कराता है कि वर्तमान अध्ययन निर्धारित अध्ययन किये हुए क्षेत्रो में किस प्रकार लाभ करता है।

सिंह (2012)ने स्वयं सहायता समूहों और बैंक लिंकेज की जांच की यह परियोजना नाबार्ड के मार्गदर्शन में कार्यान्वित की जा रही है जो एक देता है सूक्ष्म उद्यमियों के लिए संस्थागत व्यवस्था। यह लिंकेज प्रोग्राम एक हिस्सा है बचत आधारित क्रेडिट कार्यक्रम का। परियोजना का जोर सूक्ष्म-वित्त संचालन,ऋण देने, संचालन में लचीलापन, ऋण को बंधन से अलग करना

संपार्श्विक आवश्यकताएँ, समूह-अग्रणी अंतर-समूह शिक्षण, समूह निर्णय पुनर्भुगतान कार्यक्रम तय करना, प्रशिक्षण और पदोन्नति के माध्यम से कौशल विकास गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज सुविधाएं पर देते हुए । बैंकों, गैर सरकारी संगठनों और महिला उधारकर्ताओं के बीच समन्वय सतत विकास के लिए ऋण देने वाली एक नई माइक्रो-क्रेडिट संरचना

का निर्माण से नए रास्ते खुल सकते हैं। सूक्ष्म उद्यमों का विकास के लिए महिला विकास निगम और सरकारी विभाग भी जुटे अपनी योजनाओं के तहत महिलाओं को संगठित करने गैर सरकारी संगठनों की मदद से प्रतिष्ठित स्वयं सहायता समूहों और बैंक के बीच प्रभावी साझेदारी क्रेडिट-प्लस दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए गैर सरकारी संगठन सहायता प्रदान करेंगे।

सरानिया (2015)अपने शोध में कहा किसी राष्ट्र के विकास के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण महत्वपूर्ण है। राष्ट्रों में साक्ष्य सुझाव है कि स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्यों को सूक्ष्म ऋण के प्रावधान के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण हासिल किया जा सकता है। यह अध्ययन असम में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में एसएचजी की प्रभावशीलता की जांच करने के लिए किया गया था। यह अध्ययन एसएचजी सदस्य लाभार्थियों के साक्षात्कार के माध्यम से असम का बक्सा जिला से एकत्र किए गए प्राथमिक आंकड़ों पर आधारित था। दो प्रखंडों के 50 समूहों (प्रत्येक ब्लॉक से 25 एसएचजी) से कुल 100 सदस्य ने अध्ययन का नमूना आकार बनाया। स्टडी से पता चला कि अधिकांश उत्तरदाता 25 से 45 वर्ष के आयु वर्ग के हैं और शिक्षित हैं, प्राथमिक शिक्षा की योग्यता और उनमें से अधिकांश विवाहित हैं और इसका बड़ा हिस्सा उत्तरदाताओं पर 4 से 6 सदस्य आश्रित हैं। एसएचजी में शामिल होने के बाद सदस्य द्वारा कई आय सृजन गतिविधियाँ शुरू की गईं। एसएचजी में शामिल होने के बाद सशक्तिकरण, अर्थात् आय, रोजगार और बचत परिणाम से आर्थिक संकेतकों में सकारात्मक बदलाव दिखा। विलकॉक्सन हस्ताक्षर रैंक टेस्ट के परिकलित मूल्य आर्थिक संकेतकों के लिए महत्वपूर्ण थे। इससे पता चला कि अधिकांश प्रतिवादी की आय, रोजगार के दिन और बचत की राशि में वृद्धि हुई एसएचजी के बाद, पूर्व-एसएचजी स्थिति की तुलना में। इस प्रकार अध्ययन ने निष्कर्ष निकाला कि एसएचजी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं अध्ययन क्षेत्र में ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण में ।

रेशी (2023)अपने शोध में व्यक्त किया की स्वयं सहायता समूह अपनी स्थापना से ही महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रहे हैं। गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार ने अपनी व्यवस्था में महिला स्वयं सहायता समूहों को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तीकरण के महिला आधारित संग्रहण मॉडल की क्या विशेषताएं हैं जिन्हें देश में साकार किया जा रहा है? गरीब महिलाओं को समूहों में कैसे बांटा जाता है? समूह कैसे काम करता है? साथ ही, गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण के प्रति इन मॉडलों की क्या प्रतिबद्धता रही है? इन मुद्दों के समाधान के लिए द्वितीयक डेटा का उपयोग किया गया

है। एसएचजी गरीबी उन्मूलन में मदद करते हैं और एसएचजी कोविड-19 से लड़ने में भी योगदान देते हैं। यह पेपर महिला सशक्तिकरण में एसएचजी की भूमिका पर प्रकाश डालता है।

6.0 अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत शोध अध्ययन में निम्नलिखित उद्देश्यों पर विचार किया गया हैं-

i. झारखंड राज्य में महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में स्वयं सहायता समूहों के योगदान का अध्ययन करना।

ii. महिला समूह के विकास के लिये शासकीय योजनाओं का अध्ययन करना।

iii. धनबाद जिले में महिला स्वयं-सहायता समूहों की वर्तमान स्थिति का मुल्यांकन करना।

iv. जिले की महिला समूह की रोजगार शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं का मूल्यांकन करना।

7.0 अध्ययन की परिकल्पना

इस अध्ययन के लिए तैयार की गई शून्य और वैकल्पिक परिकल्पना निम्नलिखित हैं:

NH_1: स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं का कोई आर्थिक विकास नहीं हुआ है।

AH_1: स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं का आर्थिक विकास हुआ है।

NH_2: स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं का कोई सामाजिक विकास नहीं हुआ है।

AH_2: स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं का सामाजिक विकास हुआ है।

NH_3: धनबाद जिले में रोजगार शिक्षा बढ़ाने में एसएचजी की कोई भूमिका नहीं है।

AH_3: धनबाद जिले में रोजगार शिक्षा बढ़ाने में एसएचजी की भूमिका है।

8.0 अनुसंधान क्रिया विधि

यह शोध माइक्रोफाइनेंस और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से धनबाद के ग्रामीण लोगों का सामाजिक-आर्थिक विकास पर एक अध्ययन करने का प्रयास था। वर्तमान अध्ययन के प्रयोजन के लिए दोनों प्राथमिक और द्वितीयक डेटा का उपयोग किया जाएगा । प्राथमिक डेटा को फ़ील्ड सर्वेक्षण में प्रश्नावली एवं प्रत्यक्ष साक्षात्कार विधि से भरकर एकत्र किया जाएगा। द्वितीयक डेटा विभिन्न पत्रिकाओं, पुस्तकों, प्रासंगिक दस्तावेजों, समाचार पत्रों, पत्रिकाएँ, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), संस्थान के रिकॉर्ड आदि से एकत्र किया जाएगा।

सावधानी पूर्वक जांच के बाद, तीन चरण के नमूने का पालन करने का निर्णय लिया गया। पहले चरण में, धनबाद जिले के सभी दस प्रखंडों में से पांच का चयन किया जाएगा। दूसरे चरण में, प्रत्येक प्रखंडों से 05 एसएचजी को यादृच्छिक रूप से चुना जाएगा। तीसरे चरण में, एसएचजी से, 7 सदस्य यादृच्छिक रूप से और 5 सदस्यों को जानबूझकर कम आबादी वाले सभी बीपीएल प्रभावित गांव से चुना जाएगा। इस प्रकार, 300 [(12 x 5 x 5)=300)] उत्तरदाताओं को वर्तमान अध्ययन के उद्देश्य के लिए चुना जाएगा। नमूना एसएचजी का दौरा किया गया है और विभिन्न प्रश्नावली सेटों के आधार पर सर्वेक्षण किया गया है। डेटा का विश्लेषण करने के लिए प्रतिशत, सरल औसत, और परिकल्पना परीक्षण जैसे उपकरण का प्रयोग किया गया है।

9.0 अध्ययन की सीमाएँ

अध्ययन की सीमाएँ निम्नलिखित हैं:

1. धनबाद जिले में स्वंय-सहायता समूह की स्थिति का अध्ययन कर उन से जुडी समस्याओं का सामाधान निकालने के लिए अनुसंधानकर्ता ने पूरे देश को न लेकर झारखण्ड राज्य के धनबाद जिला को चयन का निर्णय लिया है।
2. चूंकि शोध मुख्य रूप से झारखंड सरकार पर केंद्रित है, इसलिए यह निष्कर्ष अन्य राज्यों पर लागू हो भी सकता है और नहीं भी।
3. अध्ययन केवल गणितीय और सांख्यिकीय उपकरणों पर आधारित है।
4. अध्ययन खोजपूर्ण से अधिक वर्णनात्मक है।
5. उपलब्ध जानकारी और डेटा शोध के लिए पर्याप्त नहीं है।

10.0. प्रस्तावित थीसिस में निम्नलिखित अध्याय

प्रस्तावित थीसिस में निम्नलिखित अध्याय होगेः-

अध्याय 1: अध्ययन का परिचय।

अध्याय 2: साहित्य की समीक्षा

अध्याय 3: झारखंड राज्य में महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक विकास में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका।

अध्याय 4: धनबाद जिले में स्वयं सहायता समूहों का आकलन।

अध्याय 5: अनुसंधान पद्धति

अध्याय 6: डेटा विश्लेषण और व्याख्या

अध्याय 7: निष्कर्ष और सुझाव

अध्याय 8: ग्रंथ सूची

11. प्रतिक्रिया दें संदर्भ

1. मिनिमोल, एम.सी., और मकेश, के.जी. (2012)। केरल में ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना: स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की भूमिका पर एक अध्ययन। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी, 4(9), 270।

2. थंगामणि, एस., और मुथुसेल्वी, एस. (2013)। कोयंबटूर जिले के मेट्टुपालयम तालुक के विशेष संदर्भ में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण पर एक अध्ययन। जर्नल ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट, 8(6), 17-24।

3. सरवनन, एम. (2016)। तमिलनाडु में ग्रामीण घरेलू महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास पर स्वयं सहायता समूहों का प्रभाव-एक अध्ययन। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च वॉल्यूम। 4 नंबर 7 आईएसएसएन 2394, 3629, 22-31।

4. सरानिया, आर. (2015)। असम में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर स्वयं सहायता समूहों का प्रभाव। इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी एंड मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडीज, 1(1), 148-159।

5. रेशी, आई. ए. (2023)। महिला स्व-सहायता समूह-गरीबी संबंध और सशक्तिकरण में भूमिका। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इकोनॉमिक, बिजनेस, अकाउंटिंग, एग्रीकल्चर मैनेजमेंट एंड शरिया एडमिनिस्ट्रेशन (आईजेईबीएएस), 3(1), 79-84।

6. https://www.ijcrt.org/papers/IJCRT1872364.pdf

7.https://www.forbesindia.com/article/special/the-economic-potential-of-women-selfhelp-groups/61329/1